

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	Recommended for approval
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक के प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	

तिथि: 01.12.2017
स्थान: Lucknow

हस्ताक्षर
नाम:
सरकारी मुहर

डा० प्रशान्त कुमार बघा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ०प्र०, लखनऊ